19/संख्या-846/94-क0नि0-7-2015-700(508)/2014

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
निबंधन, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग लखनऊ दिनांक 10 जुलाई, 2015

विषय:- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति,2012 के क्रम में स्टाम्प शुल्क से छूट दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि यू0पी0 एस0आई0डी0सी0 की परिसम्पत्तियों पर मूल आवंटी द्वारा अन्य उद्यमी के पक्ष में हस्तांतरण के प्रकरणों में जिलाधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में प्रभावी सर्किल दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता है। किन्तु साथ ही, अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के अनुरूप ऐसी इकाईयों में स्टाम्प शुल्क से अधिसूचना संख्या-क0नि0-7-79-11-2012-31(98)/2012, दिनांक 05.12.2012 के प्रस्तर (क), (ख) एवं (ग) में 100 प्रतिशत तथा प्रस्तर (घ) में 75 प्रतिशत की छूट अनुमन्य है।

2. उद्योग बन्धु की बैठकों में एवं अन्य स्तरों पर शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण लाये गये थे, जिनमें हस्तांतरण के प्रकरणों में भी त्रुटिवश यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की दरों के समतुल्य बैंक गारण्टी उपलब्ध कराते हुए पट्टा विलेख का निबन्धन कराया गया। कालांतर में इन प्रकरणों को स्टाम्प शुल्क की कमी का प्रकरण मानते हुए इनमें स्टाम्प वाद योजित कराए गए।

3. वस्तुत: इन प्रकरणों में शर्तों को पूरा करने पर बैंक गारण्टी अवमुक्त कर दी जानी थी, तथा कोई अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क नहीं दिया जाना था। अत: शासनादेश संख्या-13/संख्या-1347/11-क0नि0-7-2014-700(508)/2014 दिनांक 18-12-2014 द्वारा इस त्रुटि को संशोधित कराने के लिए उन्हें डी0एम0 सर्किल दर के समतुल्य धनराशि में से यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के सेक्टर रेट के अंतर की धनराशि की बैंक गारंटी उपलब्ध कराये जाने की शर्तों के साथ स्टाम्प कमी के वाद समुचित रूप से स्टांपित अवधारित करते हुए निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. पुन: शासन के संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय उद्यमियों द्वारा छूट की शर्तों को पूर्ण करते हुए अवमुक्त स्टाम्प शुल्क में छूट की अर्हता प्राप्त कर ली गयी है। अत: ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा बैंक गारण्टी को यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की सेक्टर रेट के अनुसार अथवा डी0एम0 सर्किल दर के अनुरूप होना अथवा दोनों के अंतर की धनराशि की बैंक गारंटी प्राप्त करने का प्रश्न अप्रासंगिक हो गया है।

5. अत: शासन द्वारा ऐसे प्रकरणों में सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि छूट विषयक अधिसूचना दिनांक 05-12-2012 में निर्धारित शर्तों को पूरा करने एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश दिनांक 04-06-2013 की प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर हस्तांतरण के प्रकरणों में अंतर की धनराशि की बैंक गारण्टी जमा कराए जाने की आवश्यकता नहीं है तथा उनके द्वारा पूर्व में जमा बैंक गारण्टी अवमुक्त कर दी जाए और यदि कोई स्टाम्प कमी का वाद योजित हो, तो उपरोक्तानुसार उसे निरस्त करते हुए निस्तारित किया जाए।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर।
4. समस्त उप महानिरीक्षक/सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश।
5. श्री अतुल सेठ, महासचिव, प्रोविजनल इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन (पीआईए) को उनके प्रत्यावेदन के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in